



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 253/27/2017/चयन

इन्दौर दिनांक 06.10.2017

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा – 2016

पदनाम – सहायक यंत्री (विद्युत)

चयन – सूची

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2016 दिनांक 14.06.2016 शुद्धिपत्र क्र.-01/05/परीक्षा/2016 दिनांक 22.07.2016 एवं शुद्धिपत्र क्र.-02/05/परीक्षा/2016 दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा – 2016 में म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पदनाम सहायक यंत्री (विद्युत) हेतु अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 19.09.2017 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप, आवेदकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची घोषित की जाती है :-

1 सहायक यंत्री (विद्युत) – जल संसाधन विभाग

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	3	1	1	1	6
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	1	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	SEEL124309	VIPIN TIWARI	M	UNR	GEN
2	SEEL117702	PRATISHTHA RAI	F	UNRF	GEN
3	SEEL110347	MUKESH MADARIYA	M	UNR	OBC
4	SEEL103715	DURGESH RAJAK	M	OBC	OBC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	SEEL100151	PRIYANKA CHOPRA	F	GEN
2	SEEL104035	RAJKUMAR LODHI	M	OBC

टीप :-

- म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में उनके द्वारा दी गई विभागवार अग्रगण्यता के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।

2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/384/एफ/850/1/3/08 भोपाल, दिनांक 28.08.1998 में दिये निर्देशों के तहत राज्य शासन की सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन अंतर्गत – “.....महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यही है कि जो भी महिलायें चयनित हो उनको 30 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध गिना जायेगा” इसी प्रकार म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/111/1817/2006/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29.01.2007 में उल्लेखित मार्गदर्शन अंतर्गत – “.....होरिजेण्टल आरक्षण में उन उम्मीदवारों की भी गणना की जाती है जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं। यदि प्रवर्गवार सामान्य चयनित सूची में निःशक्तजन/महिलाएं/भूतपूर्व सैनिक (जिनके लिये होरिजेण्टल आरक्षण है) शामिल न हो तो आरक्षण का लाभ देते हुए “सामान्य कट आफ मार्क्स” के नीचे से चयन करते हुए निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति की जानी चाहिए”(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17.11.2015 के अनुसार उक्त 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण को संशोधित करते हुए 33 प्रतिशत किया गया है)
3. कुल विज्ञापित पदों में से 02 पद (अनुसूचित जाति-01 एवं अनुसूचित जनजाति -01 पद) आवेदक उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त रहे हैं।
4. उक्त चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर में दायर अपील याचिका क्रमांक 420/2017 के निर्णय के अध्वधीन रहेगा।
5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।




(डॉ. पवन कुमार शर्मा)
सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर